

प्रारूप-इ (संलग्नक-9) अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

फूआईडी संख्या: UPFS/2025/181301/GZB/GHAZIABAD/9978/CFO

दिनांक: 14-12-2025

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **NATHIYA CHARITABLE TRUST** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **DELHI PUBLIC SCHOOL SITUATED AT PLOT No. 8-SCH-01, SECTOR-08, SIDDHARTH VIHAR, GHAZIABAD** तहसील - **GHAZIABAD** जिल्ला

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	वैसमेंट की संख्या	ऊँचाई
BLOCK A ACADEMIC BLOCK B ADMIN AND BLOCK C	6	0	22.70 mt.

तथा प्लॉट एरिया **16197.12 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **NATHIYA CHARITABLE TRUST** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कंपनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरोध किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक **04-01-2026** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **KAMAL RANA** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार व्यवस्थिति में पाया गया। अतः प्रस्तुत भवन को अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate) (एन0बी0सी0 की अधिभोग क्षेत्री) Educational के अंतर्गत वैधता तिथि **06-01-2026** से **05-01-2031** तक **5 वर्ष** के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी यन्त्रों का अनुपलब्ध किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सचनकों के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

Note : अग्निशमन अधिकारी द्वारा प्रेषित स्थलीय भौतिक निरीक्षण संस्तुति आख्या के आधार पर NBC-2005 उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपदा सेवा अधिनियम-2022 नियमावली-2024 अनुसार निम्न उपबन्धों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है, 1-फायर उपकरणों का वार्षिक ए0एम0सी0/मरम्मत अर्ह एजेंसी से कराया जाय। 2-विद्युत सुरक्षा निदेशालय का विद्युत सुरक्षा प्रमाण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। भवन के स्वरूप की वैधता सम्बन्धित प्रधिकरण की शर्तों के अधीन होगा। यदि सम्बन्धित सहा प्रधिकारी की शर्तों का उल्लंघन होता है, तो अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

निर्गत किये जाने का दिनांक : **06-01-2026**
स्थान : **GHAZIABAD**



हस्ताक्षर - (द्विचिह्न रूप से हस्ताक्षरित)

Rahul Pal

AC561D1C1977602518F017F7DCFB48B10AD965EDA

06-01-2026

Note:- Kindly check the authentication of HDC by verifying the official portal of UP Fire Service.